न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2016RAAJu223RTA014 Motiram Vs Bali etc

मोतीराम पुत्र राजूराम, के कायम मुकाम
1/1 ईमयो देवी पत्नि मोतीराम जाति जाट निवासी गोदेलाई तहसील शेरगढ़ जिला हाल वालेसर जिला जोधपुर।

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. बाली देवी पत्नी राणाराम जाट
2. चम्पा देवी पत्नी वानाराम जाट
3. तुलछाराम पुत्र राजूराम जाट
4. चनणाराम पुत्र राजूराम जाट
   निवासीगण ग्राम गोदेलाई तहसील शेरगढ़
   जिला जोधपुर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शेरगढ जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिकी तथा निर्णय एवं अंतिम डिकी सहायक कलेक्टर शेरगढ कमशः दिनांक 18 नवम्बर 2011 एवं 22 मार्च 2012 राजस्व वाद संख्या 58/2011 बाली देवी बनाम मोतीराम वगैरा इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री चेतराम जाखड़, अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री रुघाराम चौधरी, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 11 नव., 2019

अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 58/2011 बालीदेवी बनाम मोतीराम व अन्य में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18 नवम्बर 2011 तथा निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 22 मार्च 2012 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 08 फरवरी 2016 को पेश की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिनीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम गोदेलाई तहसील शेरगढ स्थित आराजी खसरा संख्या 615 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा के सबंध में विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत पेश कर किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20 मई 2011 को संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया, प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 3 से 5 बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। उसके बाद वादी-पक्ष की बहस सुनी जाकर दिनांक 18 नवम्बर 2011 को अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री तथा दिनांक 22 मार्च 2012 को फाइनल डिक्री पारित कर दिये गये, जिनके खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है, जिसमें अपीलाण्ट, रेस्पो. चनणाराम व रेस्पो. तुलछाराम प्रत्येक का एक-तिहाई हिस्सा बनता है, वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ, मगर काश्त की सुविधा के लिए मौके पर आपसी सहमति से भूमि का विभाजन किया हुआ था और तदनुसार उत्तर मे रेस्पो. तुलछाराम, मध्य में चनणाराम और दक्षिण में अपीलाण्ट का कब्जा था। दिनांक 7 मार्च 2011 को रेस्पो. तुलछाराम ने अपने हिस्से की भूमि रेस्पो. संख्या एक व दो क्रमशः बालीदेवी व चम्पादेवी के पक्ष में बेचान कर दी, तथा अपीलाण्ट ने अपने हिस्से की भूमि में से अपनी रहवासीय ढाणी के पास वाली एक बीघा 07 विस्वा भूमि अपने पास रखते हुए बकाया भूमि अपने भाई रेस्पो. तुलछाराम के हक में बेचान कर दी। अपने पक्ष में निष्पादित बेचान के आधार पर वादिनी-रेस्पो. संख्या एक व दो की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में दिपांक 20 मई 2011 को दावा पेश किया गया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20 मई 2011 को संस्थित किया जाकर आईन्दा पेशी 10 जून 2011 मुकर्रर करते हुए सम्मन जारी किये गये जो जरिये चस्पांदगी तामील माने जाकर प्रतिवादीगण के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई और उसके बाद वादी-पक्ष की मात्र बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दिये।

अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने आगे कथन कियाकि अपील पेश करने के लगभग 15 दिन पूर्व वनाराम एवं राणाराम आदि द्वारा मौके पर आकर अपीलाण्ट का झोपडा तोडने लगे, अपीलाण्ट द्वारा विरोध करने पर अपीलाधीन निर्णिय एवं प्राथमिक डिकी तथा फाइनल डिकी बाबत अपीलाण्ट को बताया, तब अपीलाण्ट द्वारा पटवारी हळका से सम्पर्क कर राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस की नकलें ली तो बताया कि उक्त निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एवं डिक्री के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी के दक्षिणी एक-तिहाई हिस्से की 4 बीघा 7 विस्वा भूमि बालीदेवी - चम्पादेवी के खाते में तथा 8 बीघा 5 विस्वा संयुक्त रूप से अपीलाण्ट मोतीराम तथा रेस्पो. तुलछाराम व चनणाराम के नाम रख दी। तब अपीलाण्ट नकले लेने के लिए अधीनस्थ न्यायालय पहुँचा तो बताया गया कि पत्रावली जोधपुर कलेक्टर लेखागार भिजवा दी गयी है, तब अपीलाण्ट जोधपुर आकर अधिवक्ता के जरिये नकलें आदि प्राप्त की, विधिवत अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 फरवरी 2016 को जानकारी हुई। आलौच्य अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद पेश कर दी गयी है।

अपनी वहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने कथन किया कि अपीलाण्ट के खिलाफ सम्मन की तामील जरिये चस्पादंगी सम्यक एवं समुचित मानने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक भूल की गयी है क्योंकि जरिये चस्पादंगी तामील के संबंध में सम्मन की पुश्त पर जिन दो गवाहान के हस्ताक्षर है, उनमें से एक वादिनी संख्या दो का पुत्र है तथा दूसरा वादिनी का भाई है, अतः उन्हें निष्पक्ष नहीं माना जा सकता है। इतना ही नहीं, इन गवाहान के मात्र नाम लिखे है, पूरा पता-ठिकाना नहीं लिखा है, जवकि नियमानुसार गवाहान के नाम-पते पूरे लिखे जाना आवश्यक है। वस्तुस्थिति तो यह है कि तारीख-पेशी 10 जून 2011 के सम्मन/नोटिस लेकर कोई उसकी ढाणी पर आया ही नहीं। इसके अलावा जरिये चस्पादंगी सम्मन तामील कराये जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के कोई आदेश भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। सम्मन की पुश्त पर तामील संबंधित तहसीलदार की कोई रिपोर्ट भी नहीं है न तामील के लिए भेजने का इंदाज है और न ही तामील के बाद वापिस तामीलशुदा सम्मन अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाने की कोई रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा की हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिनी-रेस्पो. का दावा बिना किसी साक्ष्य-सबूत के मात्र वादिनीगण के शपथपत्र के आधार पर स्वीकार किया गया है। वादिनी के शपत्र भी विधिवत शपथ-आयुक्त द्वारा तस्दीकशुदा नहीं है, इस कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि बंटवारे के वाद में न्यायालय द्वारा सहखातेदारान के हिस्से अनुसार डिकी जारी की जाती है, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस मामलें में ऐसा नहीं किया गया, अपितु प्राथमिक डिकी खसरा संख्या 269 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा के लिए जारी की गयी और फाइनल डिंकी खसरा संख्या 615 के लिए जारी की गयी। इसी प्रकार प्राथमिक डिकी जारी करने की तारीख अंकित नहीं की गयी तथा फाइनल डिकी दिनांक 22 मार्च 2011 की जारी करना लिखा है जबकि दावा ही दिनांक 20 मई 2011 को दर्ज किया गया था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी जारी करने में भारी अनियमितताएँ बरती गयी है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने 1994 आरआरडी 174 एवं 1991 आरआरडी 69 उद्धरित की।

जवाब में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो का कथन है कि जो शपथपत्र पेश किये है, उन पर निर्धारित राशि के टिकट लगा दिये, ऐसी स्थिति में अलग से एटेस्टेड कराना अनिवार्य नहीं रहता है। गवाहान के शपथपत्र अधिवक्ता न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। अपीलाधीन निर्णय में यदि सहवन से कोई खसरा संख्या गलत लिख दी जाती है तो वह मात्र सद्भाविक भूल ही है, उसके कारण पक्षकारान के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। अधिक्क्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18 अगस्त 2011 तथा निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 22 मार्च 2012 की पृथक-पृथक अपीलें पेश नहीं कर दोनों के खिलाफ एक ही अपील पेश की है, जो संयुक्त अपील चलने योग्य नहीं है और मात्र इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। इसके अलावा प्रस्तुत संयुक्त अपील दोनों ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के खिलाफ निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाद अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है और विलम्ब का कोई संतोषजनक एवं विश्वसनीय कारण भी समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में जाहिर नहीं किया गया है। अधिवक्ता रेस्पो. ने यह भी कथन किया कि अपीलाण्ट ने अपने ⅓ हक-हिस्से की भूमि में से 3 बीघा भूमि का बेचान रेस्पो. तुलछाराम के पक्ष में दिनांक 07 मार्च 2011 को पास-पडौस वर्णित करते हुए किया है और रेस्पो. तुलछाराम ने अपने ⅓ हिस्से का बेचान रेस्पो. संख्या 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 07 मार्च 2011 को पास-पडौस वर्णित करते हुए किया है। इन दोनों विक्रय-संव्यवहारों को अपीलाण्ट स्वयं स्वीकार करता है। इन दोनों बेचान दस्तावेजात के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का अपीलाण्ट के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है। इसलिए अपीलाण्ट द्वारा यह कहने का कोई औचित्य ही नहीं है कि उसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। इसके उपरान्त भी रेस्पो. संख्या एक व दो ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अनुसरण में अपने हिस्से की आराजियात पर पत्थरगढी करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में आवेदन किया, जिस पर आदेश दिनांक 13 जुलाई 2016 को आदेश पारित हुआ, 06 फरवरी 2017 को उक्त आदेश की पालना में पुलिस की मौजूदगी में पत्थरगढी की गयी। उक्त आदेश दिनांक 13 जुलाई 2016 के खिलाफ अपीलाण्ट की ओर से न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

समक्ष अपील दिनांक 15 फरवरी 2017 को प्रस्तुत की गयी थी, जिसका निस्तारण करते हुए न्यायालय सम्भागीय आयुक्त द्वारा निर्णय दिया गया कि यदि आदेश की पालना नहीं हुई हो तो न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावे। अधिवक्ता-रेस्पो. ने जाहिर किया कि अपील किये जाने से पूर्व ही आदेश दिनांक 13 जुलाई 2016 की पालना हो चुकी थी। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो ने अपनी बहस के समर्थन में एआईआर 1988 एससी 576 एवं एआईआर 1997 राज. 205 उद्धरित करते हुए अपील अपीलाण्ट सारहीन एवं मियादबाधित होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया।

रेस्पो. संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस पर मनन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन से यह पाया जाता है कि --

1. मूल वाद में प्रतिवादीगण के सम्मन जरिये चस्पांदगी तामील समुचित मानते हुए बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही दिनांक 01 जुलाई 2011 की आदेशिका अनुसार अमल में लायी गयी है। मगर --

   i. प्रतिवादीगण के सम्मन जरिये चस्पादंगी तामील कराये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिये जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नहीं होता है।

   ii. जरिये चस्पादंगी तामील के संबंध में सम्मन की पुश्त पर जिन दो गवाहान के हस्ताक्षर है, उनके

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मात्र नाम लिखे है, पूरा पता-ठिकाना नहीं लिखा है, जबकि नियमानुसार गवाहान के नाम-पते पूरे लिखे जाना आवश्यक है।

iii. सम्मन की पुश्त पर तामील के संबंध में संबंधित तहसीलदार की कोई रिपोर्ट भी नहीं है न तामील के लिए भेजने का इंदाज है और न ही तामील के वाद वापिस तामीलशुदा सम्मन अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाने की कोई रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा की हुई है। जाहिर है कि ***सम्मन की तामीली प्रकिया सीपीसी के आदेश 5 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हुई हैं।***

2. यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिनी-रेस्पो. का दावा ***बिना किसी साक्ष्य-सबूत के मात्र वादिनीगण के शपथपत्र के आधार पर स्वीकार किया गया है।*** वादिनी के शपत्र भी विधिवत शपथ-आयुक्त द्वारा तस्दीकशुदा नहीं है। इस संबंध में अधिवक्ता-रेस्पो. का यह कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि इन दस्तावेजात पर नियमानुसार निर्धारित राशि के मुद्रांक लगा दिये जाने के कारण तस्दीक कराने की आवश्यकता नहीं रहती है। मुद्रांक लगाया जाना और शपथ आयुक्त से विधिवत से तस्दीक कराया जाना, दोनों अलग-अलग विधिक आवश्यकताएँ है, जो समानान्तर तो चलती है, मगर परस्पर पूरक नहीं होती है।

3. वादिनी-रेस्पो. को अपना वाद स्वयं सिद्ध करना चाहिये, प्रतिवादीगण के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही का यह तात्पर्य नहीं कि वादिनी-रेस्पो. संख्या एक व दो का दावा बिना किसी

साक्ष्य सबूत के ही स्वीकार कर लिया जावे। ***वादिनी-रेस्पो. को अपने दावे में किये गये अभिकथनों को समुचित दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर साबित करना चाहिये।***

4. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिनी-रेस्पो. संख्या एक व दो द्वारा मूल वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 615 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा वाके मौजा गोदेलाई के संबंध में बंटवारे एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 नवम्बर 2011 पारित करते हुए ***खसरा संख्या 269 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा बाबत जमाबंदी संवत 2063 से 2066 में वादिनीगण का ⅓ हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का ⅔ हिस्सा होना वर्णित करते हुए तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की गयी है।*** *मगर अव्वल, उक्त जमाबंदी संवत 2063 से संवत 2066 खसरा संख्या **269 से संबंधित नहीं** है* और दोयम, उसके कॉलम संख्या 4 में न तो वादिनी-रेस्पो. संख्या एक व दो का नाम दर्ज है और न ही प्रतिवादीगण संख्या ***एक से तीन के हिस्से खुले हुए है।*** मात्र विशेष विवरण के कॉलम में दर्ज किया गया है कि --

i. ***म्युटेशन संख्या 491 दिनांक 21.2.2011*** बेचान खसरा संख्या 385, 386, 388, 543, 582 में से मोतीराम द्वारा अपना सम्पूर्ण ⅓ हिस्सा बेचान करने पर तुलछाराम पुत्र राजूराम पेपों देवी पत्नी तुलछाराम ⅓ शेष बदस्तुर

ii. ***म्युटेशन संख्या 538 दिनांक 21.3.2011*** बेचान मोतीराम द्वारा अपने खसरा संख्या 615 में से अपने हिस्से में से 3.00 बीघा बेचान करने पर तुलछाराम द्वारा पूर्व का सम्पूर्ण खसरा संख्या 615

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में बेचान करने पर बालीदेवी पत्नी राणाराम - चम्पादेवी पत्नी बनाराम 4 बीघा 07 बिस्वा दर्ज शेष बदस्तुर

iii. ***म्युटेशन संख्या 578 दिनांक 21.11.2011*** रहन तुलछाराम व पेंपोदेवी का हिस्सा एस.बी.आई. शाखा जेलूगांगाडी के अधीन रहन चनणाराम का हिस्सा एस.बी.आई. शाखा जेलूगांगाडी

5. **प्राथमिक डिकी खसरा संख्या 269 बाबत जारी की गयी है,** मगर विभाजन प्रस्ताव खसरा संख्या 615 बाबत प्राप्त हुए है।

6. ***विभाजन प्रस्ताव के साथ अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त नक्शा किस्तवार की सत्यप्रति को अन्तिम डिकी व निर्णय दिनांक 22 मार्च 2012 का अभिन्न अंग शुमार किया जाना वर्णित किया गया है, मगर उक्त नक्शा किस्तवार की सत्यप्रतिलिपि पर अधीनस्थ न्यायालय की मुहर एवं पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर तक किये हुए नहीं है।***

7. विभाजन प्रस्ताव बनाये जाने बाबत उभयपक्षकारान को मौके पर उपस्थित रहने के लिए पूर्व सूचना जारी किया जाना एवं विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद प्राप्त विभाजन प्रस्ताव बाबत उभयपक्षकारान की सुनवाई किया जाना भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नहीं होता है। इससे प्रकट है कि धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विभाजन के मामले में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना भी सुनिश्चित नहीं की गयी है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 18 नवम्बर 2011 एवं निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 22 मार्च 2012 समर्थन किये जाने योग्य नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पाये जाते है। अतः सम्मनों की तामील के संबंध में किये गये विवेचन को ध्यान में रखते हुए अपील मियादंशुमार की जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर उपरोक्त निर्णय एवं डिकी दिनांक 18 नवम्बर 2011 एवं निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 22 मार्च 2012 अपास्त किये जाते है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह--

- वादिनी-रेस्पो. संख्या एक व दो को वादग्रस्त आराजियात में पक्षकारान के हिस्सों की घोषणा बावत अपने वाद को संशोधित करने का अवसर प्रदान करे।
- प्रतिवादीगण को जवाब दावा पेश करने का अवसर प्रदान करे।
- नियमानुसार दावे एवं जबाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की जाकर उभय पक्षकारान को साक्ष्य सबूत का अवसर देने के बाद उनकी सुनवाई कर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष पारित कर विधिसम्मतः निर्णय एवं प्राथमिक डिकी जारी की जावे।
- तदनुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए फाइनल डिकी जारी की जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/11/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर